संख्या : 28/2017/30(2)/छप्पन-2017-77/2011

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2017

विषय: अगुस्ता ए- 109 एस हेलीकाप्टर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर विंग कमां0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 29/3/2017 से 04/04/2017 तक अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर इंस्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:103/ना0उ0नि0/आप्स-एस0के0गिरी/2016, दिनांक 05.01.2017 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 27/2017/30/छप्पन-2017-77/2011, दिनांक 21.3.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में विंग कमां0 एस0के0 गिरि पायलट (रोटर विंग) को अगुस्ता ए-109 एस हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में दिनांक 29-03-2017 से 04-04-2017 तक (यात्रा तिथियों को सम्मिलित करते हुए) शुल्क भुगतान के आधार पर इंस्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग दिया जाना है। प्रशिक्षण शुल्क के रूप में फीस 8670 यूरो का भुगतान कम्पनी को अग्रिम रूप से किया जाना है। अत: राज्यपाल महोदय उल्लिखित प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान प्रति यूरो रूपये 75/- की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में रूपये 6,50,250/- (रूपये छ: लाख पचास हजार दो सौ पचास मात्र) होता है, वायुयान किराया रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) , बीजा शुल्क रूपये 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) , चिकित्सा बीमा रूपये 2200/- (रूपये दो हजार दो सौ मात्र), दैनिक भत्ता रूपये 42000/- (रूपये बयालिस हजार मात्र), होटल किराया रूपये 56250/- (रूपये छप्पन हजार दो सो पचास मात्र) एवं लोकल यात्रा भत्ता रूपये 16875/- (रूपये सोलह हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र) अर्थात कुल रूपये 8,82,575/- (रूपये आठ लाख बयासी हजार पॉच सो पचहत्तर मात्र) के व्यय हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-11-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3- उक्त दैनिक भत्ता आदि तभी अनुमन्य होगा जब किसी विशेष स्थान / गन्तव्य पर अवस्थान की अवधि 8 घंटे से अधिक (रात्रि 12 बजे से आगामी रात्रि 12 बजे के मध्य) होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रश्नगत प्रशिक्षण के उपरान्त वायुयान किराया, लोकल यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि से सम्बन्धित व्यय का विवरण (मूल बिल बाउचर के साथ) 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायगा।

5- उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि का भुगतान तत्समय के विनिमय दरों के अनुसार करने के उपरान्त यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा कर दिया जाय या राजकीय कोषागार में जमा किया जाय और यथास्थिति से शासन को सूचित किया जाय।

6- अग्रिम भुगतान करने से पूर्व विंग कमां0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) से शासन द्वारा अनुमोदित बाण्ड निष्पादित कराया जाय।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की प्राथमिक इकाईयों-42-अन्य व्यय व 04-यात्रा व्यय" से यथास्थिति भुगतान किया जायेगा/ के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : एफ0ए0-1-76/दस-2017, दिनांक 09.3.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या : 28/2017/30(3)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-III, आडिट भवन, टी0सी0-35-बी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।